न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः 14/2016 दावा

1. चौथमल पुत्र बिहारी लाल
2. आसकरण पुत्र बिहारी लाल जाति महाजन निवासी ग्राम गुमानपुरा तन जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीगण

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः– तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा रिकार्ड रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य

दिनांक– 28.08.2023

1 आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चन्द्रसिंहपुरा प0ह0 जाना तहसील दांतारामगढ की तन में कृषि भूमियॉ ख.नं. 130, ख.नं. 131 ख.न. 132 किता 3 कुल रकबा 6.63 है0, जिसके पुराने ख.न. 73 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा किश्म बारानी दितीय है जिसमें से 1/8 हिस्से की खातेदारी वादीगण के पिताजी स्वर्गीय बिहारी लाल के नाम से पुराने राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि पूर्व में ग्राम जाना की तन में अवस्थित थी तत्पश्चात् ग्राम चन्द्रसिंह पुरा नवसृजित राजस्व ग्राम होने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि ग्राम चन्द्रसिंहपुरा की तन में अवस्थित है। वादीगण के दादाजी स्वर्गीय डालूराम के चार सन्तान पुत्र के रूप में हुयी जिनका नाम महादेव, बिहारीलाल, कालूराम, परसराम था उपरोक्त वर्णित भूमि पुराना ख.न. 73 की प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 के अनुसार महादेव, बिहारीलाल, कालूराम व परसराम के वारिसान के नाम से संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उपरोक्त पुरानी जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 के अनुसार वादीगण के पिताजी स्वर्गीय बिहारीलाल के हिस्से में 1/2 हिस्से में से 1/4 अर्थात् सम्पूर्ण आराजियात में से 1/8 हिस्से की भूमि आती है जो कि पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से स्पष्टतया प्रमाणित है। उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित भूमि के 1/8 हिस्से पर जीवन पर्यनत वादीगण के पिताजी काश्त करते रहे। वादीगण के पिताजी की मृत्युपरान्त वर्तमान में वादीगण अपने 1/8 हिस्से की भूमि पर

28/8/23

काबिज काश्तकार है। तथा अपने 1/8 हिस्से की भूमि पर भांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। सैटलमेंट की कार्यवाही की दौरान सैटलमेंट अधिकारी द्वारा पुराना खसरा नम्बर 73 के नये खसरा नम्बर 130, 131, 132 कायम किये गये तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय बिहारी लाल के 1/8 हिस्से के स्थान पर 1/12 हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया अर्थात् राजस्व विभाग के कर्मचारियों वे अधिकारियों द्वारा सवहन से राजस्व विभाग की वर्तमान जमाबन्दी में पुराने रिकार्ड की विपरीत वर्तमान रिकार्ड में अंकन कर दिया गया जिसको वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है। वाद कारण दिनांक 05.04.2016 को वादीगण द्वारा किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्राप्त की गयी तो जानकारी होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार कर वादीगण के पिता बिहारी लाल के नाम से दर्ज भूमि पुराना खसरा नम्बर 73 में 1/8 हिस्सा पुराना राजस्व रिकोर्ड के अनुसार को वर्तमान राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 130, 131, 132 तन ग्राम चन्द्रसिंह पुरा पटवार हल्का जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी में भगवती देवी बेवा बिहारी लाल चौथमल, आसकरण पिता बिहारी लाल हिस्सा 1/12 के स्थान पर हिस्सा 1/8 अंकित कर दुरूस्ती की जावें।

2 दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार दांतारामगढ से पत्र कमांक भू0अ0/16/1976 दिनांक 8.07.2016 व पत्र कमांक भू0अ0 / 21 /939 दिनांक 19.03.2021 को प्राप्त हुए। वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों तथा तहसीलदार दांतारमगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। विधिक प्रावधानों पर सगौर मनन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है कि कब व कैसी लिपिकिय त्रुटि है। विधिक प्रावधानों के अवलोकन की सपठित धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत पेश किया गया जो निम्नलिखित है "भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती ओर ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सेकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी

28/8/23

गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो" अतः उपरोक्त धारा के तहत अन्तर्गत कार्यवाही हेतु किसी लिपिकिय त्रुटि को शुद्ध किया जा सकता है जिसका हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे परन्तु वर्तमान प्रकरण में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि यह लिपिकिय त्रुटि कब हुई व किससे हुई। तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट नहीं है। वर्तमान प्रकरण में सेटलमेंट पश्चात खातेदारी हिस्से 1/8 की जगह 1/12 दर्ज किया जाना वकील प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र में दर्शाया है। परन्तु अन्य सह–खातेदारों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है जो कि धारा 136 के तहत कार्यवाही हेतु आवश्यक है कि सभी आवश्यक पक्षकार लिपिकिय त्रुटि को स्वीकार करें।

अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र रिकोर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत विधिक रूप से परिपोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र रिकोर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद पेश कर उद्घघोषणा करवाने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर) 28/8/23
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ